



पुलिस कमिश्नरेंट लखनऊ

जोन-पश्चिमी/थाना चौक

प्रेस नोट संख्या-850

दिनांक-14.04.2025

- ई-रिक्शा चोरी करने वाले 03 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार।
- कब्जे से चोरी किया गया 01 अदद ई-रिक्शा बरामदा।
- थाना चौक पुलिस की कार्यवाही। 14.04.2025

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ के द्वारा अपराधियों पर सतर्क दृष्टि रखने एवं पूर्व में घटित घटनाओं का अनावरण किये जाने व वाँछित-वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु दिये गये आदेशो-निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी), अपर पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) के निर्देशन में सहायक पुलिस आयुक्त, चौक के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक चौक के नेतृत्व में चौक पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. मो. जुनैद पुत्र मो. सलीम निवासी सब्जी मण्डी शराब ठेका गली थाना दुबग्गा जनपद लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष 2.मो. अबूबकर पुत्र मो. उमर निवासी बिल्लौचपुरा बीच वाली सराय, बड़ी मस्जिद थाना बाजारखाला जनपद लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष, 3.सन्तोष पटेल पुत्र इन्द्रपाल वर्मा निवासी सरीपुरा राजाजीपुरम थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष को आज दिनांक 14.04.2025 को राजकीय हुसैनाबाद इण्टर कलेज के पीछे वाली रोड थाना चौक लखनऊ से चोरी के ई0रिक्शा के साथ गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

वादी श्री राम सजीवन पुत्र रतनू ग्राम चतुरीखेड़ा ग्राम पंचायत सिरगानऊ थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ द्वारा दिनांक 13.04.2025 को थाना हाजा पर प्रार्थना पत्र देकर ई रिक्शा वाहन संख्या UP32YN3753 फूलमण्डी के पास से चोरी हो जाने की सूचना दी।

तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए थाना चौक पुलिस टीम द्वारा सुरागरसी पतारसी शुरू कर दी गई। जिसके क्रम में आज दिनांक 14.04.2025 को समय 02:46 बजे राजकीय हुसैनाबाद इण्टर कलेज के पीछे वाली रोड थाना चौक लखनऊ से चोरी के ई0रिक्शा के साथ गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

अभियुक्तगण का नाम पता-

1. मो. जुनैद पुत्र मो. सलीम निवासी सब्जी मण्डी शराब ठेका गली थाना दुबग्गा जनपद लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष
2. मो. अबूबकर पुत्र मो. उमर निवासी बिल्लौचपुरा बीच वाली सराय, बड़ी मस्जिद थाना बाजारखाला जनपद लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष,
3. सन्तोष पटेल पुत्र इन्द्रपाल वर्मा निवासी सरीपुरा राजाजीपुरम थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष

अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0-96/2025 अन्तर्गत धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना चौक जनपद लखनऊ

बरामदगी का विवरण –

1.एक अदद ई0रिक्शा रजिस्ट्रेशन संख्या UP32YN3753, चेसिस नं0 MD9VERC24FL674279, रंग सफेद

गिरफ्तार कर्ता टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नागेश उपाध्याय , थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ0नि0 श्री कुलदीप कुशवाहा, चौकी प्रभारी रूमी गेट, थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ
3. उ0नि0 श्री भूपेन्द्र सिंह, चौकी प्रभारी पुलगामा, थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ
4. उ0नि0 श्री गौरव बाजपेई, चौकी प्रभारी नक़्खास, थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ
5. उ0नि0 श्री विवेक केशरवानी, थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ
6. उ0नि0 श्री दीपक शाक्य, थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ
7. उ0नि0 श्री बाँके बिहारी सिंह, थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-851

दिनांक-14.04.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-इन्दिरानगर

- युवती को शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराने व यौन शोषण करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- थाना इन्दिरानगर पुलिस की कार्यवाही।

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 13.04.2025 को वादिनी मुकदमा द्वारा अपने साथ विपक्षी द्वारा शादी का झाँसा देकर वादिनी को भगाकर ले जाना व धर्म परिवर्तन कराकर वादिनी के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाना व मार पीट करना, जान से मारने की धमकी देना व गर्भपात की दवा खिलाकर बच्चा गिराने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर मु0अ0सं0- 076/2025 धारा 69/115(2)/352/351(2)/89/87 बीएनएस व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2021 पंजीकृत कराया था।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त मो0 खालिद पुत्र लियाकत अली नि0 म0नं0 446/95 मुसाहबगंज पुरानी पुलिस चौकी के पास ठाकुरगंज हाल पाटानाला निकट इदरिश बिरयानी थाना चौक लखनऊ उम्र करीब 27 वर्ष को मछली मण्डी खुरमनगर पिकनिक स्पाट रोड थाना इन्दिरानगर लखनऊ से 11.25 बजे गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का तरीका:-

शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाना।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

01-मो0 खालिद पुत्र लियाकत अली नि0 म0नं0 446/95 मुसाहबगंज पुरानी पुलिस चौकी के पास ठाकुरगंज हाल पाटानाला निकट इदरिश बिरयानी थाना चौक लखनऊ उम्र करीब 27 वर्ष (व्यवसाय-बेरोजगार)।

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना इन्दिरानगर-

1. प्र0नि0 श्री सुनील कुमार तिवारी थाना इन्दिरानगर लखनऊ
2. उ0नि0 श्रीरंजीत सिंह थाना इन्दिरानगर लखनऊ
3. का0 मोन्टू गोहित, थाना इन्दिरानगर लखनऊ

पकड़े गये व्यक्ति/अभियुक्त अजय जयसवाल उर्फ बृजेश जयसवाल की जामा तलाशी लीवायी गयी। तो अजय जयसवाल उपरोक्त के कब्जे से 50,000 रुपये नगद, 01 अदद एंड्रायड मोबाईल Redmi 5G तथा 01 अदद पैन कार्ड व 01 अदद RUPAY कार्ड बरामद हुआ।

बरामदगी के आधार पर मुकदमा उक्त में अभियुक्त अजय जायसवाल उपरोक्त को उनके जुर्म से अवगत कराते हुए समय करीब 22.40 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया व बरामदगी के आधार पर धारा 308(5) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी । दौराने गिरफ्तारी/निगरानी व बरामदगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया । विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त अजय जयसवाल उर्फ बृजेश जयसवाल को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है । आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है ।

02-अपराध कारित करने का तरिका/उद्देश्य:-

- अभियुक्त द्वारा इन्स्टाग्राम पर मुस्कान राठौर के नाम से आईडी बनाकर वादिनी तथा वादिनी के मित्र की फोटो वायरल करने व इन्स्टाग्राम के माध्यम से वायस काल कर गाली एवं जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में ।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. अजय जयसवाल उर्फ बृजेश जयसवाल पुत्र अशोक जयसवाल उम्र 23 वर्ष निवासी संत कबीर नगर जुडवा मंदिर के पास फैजुल्लागंज थाना मडियांव लखनऊ स्थायीपता बैगपुर,नौगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर(व्यवसाय-बेरोजगार)

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 211/2025 धारा 66ई आईटी एक्ट व 352/351(2) बीएनएस व बढोत्तरी 308(5) बीएनएस थाना मडियांव लखनऊ ।
2. मु0अ0सं0 347/2017 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना हसनगंज जनपद लखनऊ ।
3. मु0अ0सं0 608/2016 धारा 364/393/511 भादवि थाना हसनगंज जनपद लखनऊ ।
4. मु0अ0सं0 615/2016 धारा 392/411 भादवि थाना हसनगंज जनपद लखनऊ ।

04-बरामदगी:-

- 01 अदद एंड्रायड मोबाइल फोन Redmi 5G
- 01 अदद रूपे कार्ड
- 01 अदद पैन कार्ड
- 50 हजार रूपये

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक श्री अंजनी कुमार मिश्रा
2. उ0नि अखिलेश सिंह
3. उ0नि0 शुभम तिवारी
4. कां0 दिग्विजय यादव



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-857

दिनांक-14.04.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-मडियांव

- फर्जी नाम से इन्स्टाग्राम आईडी बनाकर वादिनी व वादिनी के मित्र की फोटो वायरल करने व इन्स्टाग्राम के माध्यम से वॉयस काल कर गाली एवं जान से मारने की धमकी देने वाले शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- कब्जे से 01 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद रूपे कार्ड, 01 अदद पैन कार्ड, 50 हजार रूपये बरामद किया गया।
- थाना मडियांव पुलिस की कार्यवाही।

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 10.04.2025 को थाना मडियांव लखनऊ पर वादिनी मुकदमा कल्पना कश्यप पुत्री श्री रामस्वरूप कश्यप निवासिनी संत कबीर नगर जुड़वा मन्दिर फैजुल्लागंज थाना मडियांव जनपद लखनऊ द्वारा एक प्रार्थना पत्र बावत अज्ञात व्यक्ति द्वारा इन्स्टाग्राम आई डी मुस्कान राठौर के नाम से बनाकर वादिनी तथा वादिनी के मित्र सन्त शरन मौर्या (सोनू) की फोटो वायरल करने व इन्स्टाग्राम के माध्यम से वाइस काल कर गाली एवं जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 0211/2025 धारा 66ई आईटी एक्ट व 352/351(2) बीएनएस बनाम मुस्कान राठौर नामक इन्स्टाग्राम आईडी धारक अज्ञात व्यक्ति के पंजीकृत किया गया।

दिनांक 13.04.2025 को थाना मडियांव पुलिस थाना क्षेत्र से प्रस्थान कर आईआईएम रोड़ पर मौजूद थे कि जरिए मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्त फोटो वायरल कर व जान से मारने की धमकी देकर पैसे वसूलने के लिए घैला चौकी के पास लोखडिया गांव मोड़ के पास पैसा लेने के लिए आने वाला है, इस सूचना पर थाना मडियांव पुलिस टीम द्वारा तत्परता करते हुए मुखविर द्वारा बताये गये व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना अजय जयसवाल उर्फ बृजेश जयसवाल पुत्र अशोक जयसवाल उम्र 23 वर्ष निवासी संत कबीर नगर जुड़वा मंदिर के पास फैजुल्लागंज थाना मडियांव लखनऊ स्थायी पता बैगपुर, नौगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर बताया। और लोगों से नाम पता पूछा तो अपना नाम संत शरन मौर्या उर्फ सोनू पुत्र स्व0 विशेश्वर प्रसाद निवासी 537बी/25/085 सी जुगल विहार कालोनी फैजुल्लागंज लखनऊ स्थायी पता ग्राम माती थाना देवा जनपद बाराबंकी अन्य व्यक्ति ने अपना उत्कर्ष गुप्ता पुत्र संतोष कुमार गुप्ता उम्र 28 वर्ष निवासी 537ख/25/143 जुगल विहार कालोनी फैजुल्लागंज लखनऊ बताया। और संत शरन मौर्या उर्फ सोनू उपरोक्त ने बताया कि यह व्यक्ति जो अपना नाम अजय जयसवाल बता रहा है वह मुझे व मेरी महिला मित्र की फोटो को वायरल करने व जान से मारने की धमकी देकर मुझसे 1 लाख रुपये की मांग कर रहा था जिसके संबंध में मेरी महिला मित्र कल्पना कश्यप ने थाना मडियांव में मुकदमा लिखाया था और मुझसे पैसे लेने के लिए यहां बुलाया था। मैं अपनी इज्जत व जान की परवाह की वजह से इन्हे पचास हजार रुपया दिया हूँ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-848

दिनांक-14.04.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-मडियांव

- अवैध स्मैक की बिक्री करने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।
- कब्जे से कुल 46 ग्राम मय 99 अदद पुड़िया अवैध स्मैक बरामद किया गया ।

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 14.04.2025 को थाना मडियांव लखनऊ की पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति एवं थाना क्षेत्र में भ्रमणशील पर मौजूद थी कि जरिए मुखविर खास सूचना प्राप्त हुई कि रेलवे लाइन के पास पुल के नीचे गुमटी के पास एक व्यक्ति जो मटमले रंग की टीशर्ट पहने खड़ा है, चोरी छिपे नाजायज स्मैक बेच रहा है । यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है मुखविर द्वारा बताये गये व्यक्तियों को पकड़ लिया गया गया ।

पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम तौकीर अहमद पुत्र मो0 अलीम निवासी बदनाम होटल के पीछे दाउद नगर थाना मडियांव जनपद लखनऊ उम्र 45 वर्ष बताया । पकड़े गये व्यक्ति के कब्जे से बांये जेब से काली पन्नी के अन्दर 99 अदद कागज की पुड़िया स्मैककुल वजन 46 ग्राम बरामद हुआ । बरामद स्मैक के सम्बन्ध में पूछा गया तो इसे अवैध रूप से खरीदकर चोरी छिपे राह चलते लोगो को पुड़ियों के हिसाब से बेच देता हूँ । इससे कम समय मे ज्यादा मुनाफा हो जाता है जिससे मैं अपना खर्च चलाता हूँ ।

पकड़े गये व्यक्ति/अभियुक्त को उसके द्वारा कारित जुर्म धारा 8/21 NDPS ACT से अवगत कराते हुए समय करीब 02.23 बजे को हिरासत पुलिस में लिया गया । दौराने गिरफ्तारी/निगरानी व बरामदगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया । बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 216/2025 धारा-8/21 NDPS ACT पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है । आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है ।

02-अपराध कारित करने का तरिका/उद्देश्य:-

- अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से खरीदकर चोरी छिपे राह चलते लोगो को पुड़ियों के हिसाब से बेचना ।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. तौकीर अहमद पुत्र मो0 अलीम निवासी- बदनाम होटल के पीछे दाउद नगर थाना मडियांव जनपद लखनऊ उम्र 45 वर्ष (व्यवसाय-कपड़े बेचने का काम)

04-बरामदगी:-

- 99 अदद कागज की पुड़िया स्मैक कुल वजन 46 ग्राम ।

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अमित कुमार साहू
2. उ0नि0 आदित्य द्विवेदी
3. उ0नि0 अनिरुद्ध कुमार मिश्रा
4. हे0का0 मिथिलेश गिरी
5. का0 रोहित कुमार



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-856

दिनांक 14.04.2025

जोन-पश्चिमी/ थाना-माल

- वादी की बहन को ससुरालीजनों द्वारा प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिये उकसाने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.04.2025 को वादी श्री सचिन पुत्र सरवन नि0 ग्राम कटका देवरी थाना अतरौली जनपद हरदोई उपस्थित थाना आकर बावत वादी की बहन जिसकी शादी संजय पुत्र सियाराम नि0 ग्राम बक्खाखेड़ा थाना माल के साथ दो वर्ष पूर्व हुयी थी, विपक्षीगण संजय (पति), सास, ससुर व देवर द्वारा प्रताड़ित करने के कारण फांसी लगाकर आत्म हत्या कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 86/25 धारा 85/108 बीएनएस बनाम 1- संजय (पति) पुत्र सियाराम 2- सियाराम (ससुर) पुत्र अज्ञात 3- देवर (नाम अज्ञात) पुत्र सियाराम 4-सास (नाम अज्ञात) पत्नी सियाराम नि0 गण ग्राम बक्खाखेड़ा थाना माल जनपद लखनऊ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उ0नि0 चन्द्रप्रकाश मय हमराही के थाना क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त सियाराम (ससुर) पुत्र स्व0 नन्हेलाल नि0 ग्राम बक्खाखेड़ा थाना माल को शेखवापुर चौराहे से आज दिनांक 14.04.2025 को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सियाराम पुत्र स्व0 नन्हेलाल नि0 ग्राम बक्खाखेड़ा थाना माल जनपद लखनऊ उम्र 60 वर्ष

03-सम्बन्धित अभियोग-

- 1.मु0अ0सं0 86/25 धारा 85/108 बीएनएस थाना माल लखनऊ

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री चन्द्रप्रकाश थाना माल लखनऊ
- 2- का0 आशीष थाना माल लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-849

दिनांक-14.04.2025

जोन-दक्षिणी/ थाना- मोहनलालगंज

शातिर चोरों के गिरोह का खुलासा

- पुलिस मुठभेड़ में दो नफर शातिर अभियुक्तों किया गया गिरफ्तार ।
- कब्जे से 02 अदद तंमचा .315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस, 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 अदद हीरो होण्डा मोटरसाइकिल रंग काला , 01 अदद आलानकब व , 13260/- रूपया नगद बरामदा

01-कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री अमरेन्द्र सिंह सेंगर के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री निपुण अग्रवाल के कुशल पर्यवेक्षण व श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त श्री अमित कुमावत तथा श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज महोदय श्री रजनीश वर्मा के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक श्री अमर सिंह द्वारा गठित टीम द्वारा दो शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.03.2025 को वादी श्री गंगाराम पुत्र सरजू नि0 ग्राम भैदुआ थाना मोहनलालगंज लखनऊ द्वारा सूचना दिया गया था कि दिनांक 24.03.2025 की रात समय करीब 11:45 Pm के आस-पास मेरी छत पर तीन चार लोगो की चलने की आवाज आयी तथा बहुत फायर जैसी आवाज आयी, जिससे स्वयं व सभी लोग छत पर पहुँचे, जहाँ घर की पीछे खेत में एक आदमी को कुछ लोग घसीटते हुए ले जा रहे थे व मेरी छत पर खून की भारी मात्रा पड़ी हुई दिखी। इस सूचना पर थाना मोहनलालगंज लखनऊ में मु0अ0सं0 0093/25 धारा 331(4) BNS पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु तत्काल 04 टीमों का गठन किया गया था। विवेचना से 1. रामचन्द्र उर्फ छोटू 2. कमलेश का नाम प्रकाश में आया। जिसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा था। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस उपायुक्त दक्षिणी महोदय द्वारा 25-25 हजार के इनाम की घोषणा की गयी। दिनांक 13.04.2025 को पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। तभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि राम चंद्र और छोटू अपनी पुनः घटना कारित करने के लिए निकले है जो किसान पथ से पूरनपुर के पास जाने वाले है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा कस्तूरबा के पास चेकिंग की जा रही थी, तभी एक मोटर साइकिल पर दो व्यक्ति सवार दिखे तथा पुलिस टीम को देख कर अपने दाहिने तरफ भागे पुलिस द्वारा पीछा किया गया जिस पर दोनों अभियुक्तों द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया गया। पुलिस टीम द्वारा बचाव में फायर किया गया जिस कारण अभियुक्तों के पैरों में गोली लगी। अभियुक्तों को तत्काल नजदीकी अस्पताल भेजा गया। अन्य अभियुक्तों की तलाश की जा रही है।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. कमलेश पुत्र भगवानदी नि0 दम्नबेलवा थाना सकरन जनपद सीतापुर उम्र 55 वर्ष ।
2. छोटू उर्फ रामचन्द्र पुत्र दीनबन्धू नि0 उपरोक्त उम्र करीब 35 वर्ष ।

04-आपराधिक इतिहास-

कमलेश पुत्र भगवानदीन नि० दम्नबेलवा थाना सकरन जनपद सीतापुर

1. मु०अ०सं० 140/21 धारा 380/457 भादवि थाना कैसरगंज बहराइच
2. मु०अ०सं० 178/21 धारा 380/411/457 भादवि थाना कैसरगंज बहराइच
3. मु०अ०सं० 239/21 धारा 380/411/457 भादवि थाना कोतवाली देहात बहराइच
4. मु०अ०सं० 110/15 धारा 3/25 आयुध अधि० थाना कुर्सी बाराबंकी
5. मु०अ०सं० 28/15 धारा 380/457 भादवि थाना घूंघटेर बाराबंकी
6. मु०अ०सं० 65/15 धारा 380/411 भादवि थाना फतेहपुर बाराबंकी
7. मु०अ०सं० 285/17 धारा 380 भादवि थाना इटौजा लखनऊ
8. मु०अ०सं० 317/17 धारा 380 भादवि थाना इटौजा लखनऊ
9. मु०अ०सं० 319/17 धारा 457/380 भादवि थाना इटौजा लखनऊ
10. मु०अ०सं० 324/17 धारा 380 भादवि थाना इटौजा लखनऊ
11. मु०अ०सं० 330/17 धारा 380 भादवि थाना इटौजा लखनऊ
12. मु०अ०सं० 1/23 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट थाना बिसवां सीतापुर
13. मु०अ०सं० 100/18 धारा 23 गैगेस्टर एक्ट थाना बिसवां सीतापुर
14. मु०अ०सं० 107/17 धारा 380/411/457 भादवि थाना बिसवा सीतापुर
15. मु०अ०सं० 249/17 धारा 380/411/457 भादवि थाना बिसवा सीतापुर
16. मु०अ०सं० 360/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना बिसवा सीतापुर
17. मु०अ०सं० 416/17 धारा 3/25 आयुध अधि० थाना बिसवा सीतापुर
18. मु०अ०सं० 432/22 धारा 3/25 आयुध अधि० थाना बिसवा सीतापुर
19. मु०अ०सं० 220/23 धारा 380/411/457 भादवि थाना सकरन सीतापुर
20. मु०अ०सं० 249/23 धारा 380/411/457 भादवि थाना सकरन सीतापुर
21. मु०अ०सं० 274/23 धारा 380/411/457 भादवि थाना सकरन सीतापुर
22. मु०अ०सं० 383/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना सकरन सीतापुर
23. मु०अ०सं० 416/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना सकरन सीतापुर
24. मु०अ०सं० 169/17 धारा 380/411 भादवि थाना सदरपुर सीतापुर
25. मु०अ०सं० 285/17 धारा 380 भादवि थाना इटौजा लखनऊ ।
26. मु०अ०सं० 317/17 धारा 380 भादवि थाना इटौजा लखनऊ ।
27. मु०अ०सं० 319/17 धारा 380/457 भादवि थाना इटौजा लखनऊ ।
28. मु०अ०सं० 324/17 धारा 380 भादवि थाना इटौजा लखनऊ ।
29. मु०अ०सं० 330/17 धारा 380 भादवि थाना इटौजा लखनऊ ।

छोट्ट उर्फ रामचन्द्र पुत्र दीनबन्धू नि० दम्मन बेलवा जनपद सीतापुर

1. मु०अ०सं० 230/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना मछरेहटा सीतापुर
2. मु०अ०सं० 361/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना कोतवाली सीतापुर
3. मु०अ०सं० 500/22 धारा 401/411/413 भादवि थाना संधाना सीतापुर
4. मु०अ०सं० 198/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना कोतवाली सीतापुर
5. मु०अ०सं० 321/22 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली सीतापुर
6. मु०अ०सं० 205/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना रामपुरकंला सीतापुर
7. मु०अ०सं० 458/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना मिश्रित सीतापुर
8. मु०अ०सं० 313/23 धारा 401 भादवि 25 ए एक्ट थाना सकरन सीतापुर
9. मु०अ०सं० 372/22 धारा 380/411/413/457 भादवि थाना संधाना जनपद सीतापुर
10. मु०अ०सं० 617/22 धारा 2/3 यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना संधाना जनपद सीतापुर

05-बरामदगी-

- 02 अदद तंमचा .315 बोर
- 02 अदद खोखा कारतूस
- 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
- 01 अदद हीरो होण्डा मोटरसाइकिल रंग काला
- 01 अदद आलानकब
- नगद 13260/- रूपये

06- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अमर सिंह
2. व०उ०नि० श्री यशवन्त सिंह
3. उ०नि० श्री साजिद अली
4. उ०नि० श्री अनूप कुमार सिंह
5. उ०नि० श्री संजय वर्मा
6. उ०नि० श्री गुड्डू प्रसाद
7. उ०नि० श्री राहुल पासवान
8. का० दीपक तोमर
9. का० अमरजीत सिंह
10. का० राकेश जायसवाल
11. का० मो० आरिफ
12. का० शुभम शर्मा



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-852

दिनांक-14.04.2025

जोन- उत्तरी/ थाना- सैरपुर

- थाना सैरपुर पुलिस टीम द्वारा कार में लिफ्ट देकर सुनसान स्थान पर ले जाकर मार पीट कर लूट करने वाले वांछित 01 नफर शांतिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।
- दिनांक 05.04.2025 को समय करीब 22.15 बजे सेवाकट के पास खड़े व्यक्ति को कार में लिफ्ट देकर काकोरी से पहले ले जाकर अभियुक्त द्वारा मारपीट कर की गयी थी लूट आज सैरपुर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार ।
- घटना कारित करने वाले अभियुक्तों में से 02 नफर अभियुक्तों को दिनांक 09.04.2025 को गिरफ्तार कर अभियुक्तों के पास से लूट के रुपयो के साथ घटना में प्रयुक्त कार को बरामद करते हुये अभियुक्तों को भेजा जा चुका है जेल ।
- घटना के बाद से लगातार अपना स्थान बदल रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सैरपुर पुलिस द्वारा लगातार किया जा रहा था प्रयास आज 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।
- लूट के 150 रुपये को बरामद करते हुये 01 नफर अभियुक्त को सैरपुर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार ।

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 07.04.2025 को वादी मुकदमा श्री अनुज कुमार पुत्र राम नरेश नि0 बिजुवामऊ थाना सिधौली जनपद सीतापुर द्वारा उपस्थित थाना आकर सूचना दी गयी कि मैं दिनांक 05.04.2025 समय लगभग 22.15 बजे सेवा कट के पास अपने घर जाने के लिए वाहन के इंतजार में खड़ा था काफी देर तक कोई वाहन न आने पर आ रही कार SWIFT DZIRE रजि० नं0 UP32PN233 रंग सफेद को लिफ्ट लेने हेतु मेरे द्वारा ईशारा किया गया कार सवार व्यक्तियों द्वारा मुझे कार में लिफ्ट देकर कार का दरवाजा लॉक कर किसान पथ से काकोरी से पहले ले जाकर मेरे साथ गाली गलौज करते हुये मार पीट कर मौजूद रुपये 250-300 व मल्टीमीडिया मोबाइल फोन छीन लेने एंव गूगल पे का पिन पूछ कर ऑनलाइन रुपया 6000/- ट्रांसफर कराकर वादी को कार से ढकेल कर भाग जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र के माध्यम से सूचना दिया गया ।

वादी मुकदमा के द्वारा उपलब्ध करायी गयी तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 37/2025 धारा 309(6)/127(2)/352/351(2) बी0एन0एस0 बनाम कार वाहन संख्या UP 32 PN 2336 पर सवार 04 व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत कर घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण व लूट के सामान व घटना में प्रयुक्त कार की तलाश की जी रही थी सीसीटीबी फुटेज के अवलोकन, वाहन स्वामी के बयान व अन्य साक्ष्य संकलनों से मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण (1) अयान पुत्र गफूर निवासी बसैरैला थाना काकोरी जिला लखनऊ (2) रवि शुक्ला पुत्र मनोज शुक्ला

निवासी पचकोहरा थाना कमलापुर जनपद सीतापुर हालपता सरफराजगंज थाना ठाकुरगंज जिला लखनऊ (3) अमन यादव (4) सुजीत यादव पुत्रगण रामलखन यादव निवासीगण ग्राम भगमतखेड़ा बसैरैला थाना काकोरी जिला लखनऊ (5) हिमांशु शुक्ला पुत्र रोहित शुक्ला निवासी पचकोहरा थाना कमलापुर जिला सीतापुर का नाम प्रकाश में आया प्रकाश में आये अभियुक्तों से अभियुक्तगण (1) अयान पुत्र गफूर निवासी बसैरैला थाना काकोरी जिला लखनऊ (2) रवि शुक्ला पुत्र मनोज शुक्ला निवासी पचकोहरा थाना कमलापुर जनपद सीतापुर हालपता सरफराजगंज थाना ठाकुरगंज जिला लखनऊ को दिनांक 09.04.2025 को गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य अभियुक्त की तलाश की जा रही थी

आज दिनांक 14.04.2025 को थाना सैरपुर पुलिस टीम द्वारा घटना में सम्मिलित अभियुक्तों की तलाश पतारसी सुरागरसी में मामूर थी कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि सेवा कट के पास से व्यक्ति को कार में बैठा कर जिन व्यक्तियों द्वारा लूट पाट की गयी थी उसमें से एक व्यक्ति सब्जी मण्डी के पास सीतापुर रोड़ कही जाने की फिराक में खड़ा है।

इस सूचना पर थानाध्यक्ष सैरपुर द्वारा मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचे तो हम पुलिस बल द्वारा मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर व्यक्ति को एक बारगी दबिश देकर घेर कर पुलिस हिरासत में लेकर नाम पता पूछा गया तो उस व्यक्ति ने अपना नाम हिमांशु शुक्ला पुत्र रोहित शुक्ला निवासी पचकोहरा थाना कमलापुर जिला सीतापुर बताया।

उपरोक्त अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुये जुर्म धारा से अवगत कराते हुये पुलिस हिरासत में लेकर विधिक कार्यवाही को पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु रवाना किया गया।

02-अपराध कारित करने का तरिका/उद्देश्य:-

सवारी वाहन का इंतजार कर रहे व्यक्तियों को लिफ्ट देकर सुनसान स्थान पर ले जाकर मारपीट कर लूटपाट कर धन लाभ प्राप्त करना।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1.हिमांशु शुक्ला पुत्र रोहित शुक्ला निवासी पचकोहरा थाना कमलापुर जिला सीतापुर उम्र 23 वर्ष (व्यवसाय -खेती)।

04-बरामदगी:-

➤ 150/- रुपये

05.अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 288/2024 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली देहात जनपद सीतापुर।

6. अनावरित अभियोग

1.मु0अ0सं0 37/25 धारा धारा 310,127(2),352,351(2)/317(2)बी0एन0एस0 थाना सैरपुर, लखनऊ।

07-पुलिस टीम थाना सैरपुर लखनऊ

क्राइम टीम उत्तरी जोन

1. थानाध्यक्ष श्री मनोज कुमार कोरी	1.क्राइम /सर्विलांस टीम प्रभारी उ0नि0 श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
2. उ0 नि0 श्री अनुज कुमार गुप्ता	2.हे0का0 संतोष कुमार सिंह
3. हे0का0 मो0 नदीम शेख	3.हे0का0 नदीम
4.हे0का0 अनिल कुमार	4.हे0का0 अमित कुमार गौतम
5.का0 प्रमोद कुमार प्रजापति	5.हे0का0अवधेश गिरी
6.का0 पुष्कर सिंह	6.का0 विशेष दुहुण
	7.का0 राघवेन्द्र प्रताप सिंह



पुलिस कमिश्नरेंटलखनऊ

प्रेस नोट सं0-855

दिनांक 14.04.2025

जोन- दक्षिणी/थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- शांति व्यवस्था भंग करने वाले 01 नफर अराजकतत्व को किया गया गिरफ्तार ।

01- संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 14.04.2025 को थाना सुशान्त गोल्फ सिटी टीम को सूचना प्राप्त हुयी कि थाना क्षेत्र अन्तर्गत स्थित ग्राम देवामऊ में पति पत्नी आपस में विवाद कर रहे है प्राप्त सूचना के आधार पर उ0नि0 कनक कुमार यादव मय पुलिस टीम के रवाना होकर पहुंचे तो देखा कि रजनीकांत पुत्र श्री सुभाष निवासी देवामऊ थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र 24 वर्ष अपनी पत्नी मनिषा पुत्री मालिक राम निवासी बरौना थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊको अपमानजनक व असामाजिक भाषा का प्रयोग करते हुए चिल्ला रहा है।

मौके पर समझाने पर और उग्र होकर चिल्लाने लगा और अपनी पत्नी पर आमादा फौजदारी होने लगा जिससे वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई मौके पर संज्ञेय अपराध कारित होने से रोकने के लिए आवश्यक बल प्रयोग करते हुए प्रथम पक्ष के रजनीकांत उपरोक्त को गिरफ्तारी का कारण बताकर आज दिनांक-14.04.2025 को गिरफ्तार कर अभियुक्त उपरोक्त का चालान अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस मा0 न्यायालय किया जा रहा है ।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता/व्यवसाय:-

1. रजनीकांत पुत्र श्री सुभाष निवासी देवामऊ थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र 24 वर्ष

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना - सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-853

दिनांक-14.04.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना-वजीरगंज

- जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर फर्जी बैनामा कराने वाले 01 शातिर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 27.06.2019 को वादी श्री आनन्द कुमार सिंह नजूल अधिकारी लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमतीनगर लखनऊ की लिखित तहरीरी सूचना बावत नामित अभियुक्तगण उमाशंकर आदि द्वारा वादी मुकदमा के जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर फर्जी बैनामा किया जाने के सम्बन्ध में थाना वजीरगंज लखनऊ पर मु0अ0सं0- 388/2021 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि बनाम पवन कुमार वर्मा आदि पंजीकृत हुआ।

विवेचना से वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित होने पर अभियुक्त की तलाश पतारसी जारी थी जिसमें आज दिनांक 14.04.2025 को मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्त उमाशंकर पुत्र सत्यदेव नि0 ग्राम गौरवा थाना रामस्नेही घाट जनपद बारबंकी, को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त उपरोक्त के घर से आज दिनांक 14.04.2025 को गिरफ्तार किया गया है जिसे न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. उमाशंकर पुत्र सत्यदेव उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम गौरवा थाना रामस्नेही घाट जिला बारबंकी

03-अपराध का तरीका-

अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा का फर्जी दस्तावेज तैयार कराते हुए एक कूट रचित दस्तावेज देकर करके फर्जी बैनामा कराया जाना।

04-अनावरित अभियोग-

1. 388/2021 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि थाना वजीरगंज लखनऊ

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री दिनेश चन्द्र मिश्र
2. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय
3. उ0नि0 श्री राजेश कुमार द्विवेदी



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-854

दिनांक-14.04.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना-वजीरगंज

- पुरानी रंजीश को लेकर चाकू मारकर हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू बरामद।

01-सक्षिप्त विवरण-

वादी मुकदमा श्री विशाल गुप्ता पुत्र अर्जुन गुप्ता निवासी फैजुल्लागंज थाना मडियांव जनपद लखनऊ के भाई विपिन गुप्ता को पुरानी रंजीश को लेकर चाकू मारकर विपक्षी सुशील गुप्ता पुत्र अवधेश कुमार गुप्ता निवासी फैजुल्लागंज थाना मडियांव लखनऊ द्वारा दिनांक 12.04.2025 को घायल कर देने के संबन्ध मे थाना स्थानीय पर वादी की लिखित तहरीरी सूचना पर तत्काल मु0अ0सं0 92/2025 धारा 109/52/351(3) बीएनएस पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को दिनांक 13.04.2025 को डालीगंज चौराहा से अभियुक्त सुशील गुप्ता पुत्र अवधेश कुमार गुप्ता निवासी फैजुलागंज थाना मडियांव लखनऊ को थाना वजीरगंज की पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1.सुशील गुप्ता पुत्र अवधेश कुमार गुप्ता निवासी फैजुल्लागंज थाना मडियाव जनपद लखनऊ उम्र 45 वर्ष मूल निवासी ग्राम मोहनी थाना टडियावां जनपद हरदोई

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 92/2025 धारा 109/52/351(3) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद लखनऊ

बरामदगी:-

- घटना मे प्रयुक्त 01 अदद चाकू

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना वजीरगंज-

1. प्रभारी निरीक्षक दिनेश चन्द्र मिश्रा थाना वजीरगंज लखनऊ
2. उ0नि0 श्री मुन्ना लाल थाना वजीरगंज लखनऊ
3. उ0नि0 सुमित कुमार थाना वजीरगंज लखनऊ
4. का0 रामनरेश थाना वजीरगंज लखनऊ
5. हे0का0 उमेश चन्द्र थाना वजीरगंज लखनऊ

